

डिस्कॉम्स की समीक्षा बैठक, गर्मी के मौसम में आमजन को सुनिश्चित हो निर्बाध विद्युत आपूर्ति

## विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए डिस्कॉम्स उठाएं प्रभावी कदम - मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

राजस्थान की राजनीति



करें, जहां गत वर्ष विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं थी। टीएण्डडी और एटीएण्डडी लोंगेज को व्यन्तम करने के लिए फीडिंस लेले गए निश्चित की जाए। साथ ही, खराक मीटर्स का रियर और रिलेसमेंट सुनिश्चित करना जाए। उन्होंने ऊर्जा उत्पादन नियम को पीक टाप्स से पहले मेटेंसेस पूरा करने के लिए भी निर्देश किया।

**पीएम कुमुद योजना में लाएं गति**

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुझा एवं उत्पादन नियमित (पीएम कुमुद) एवं तथा सी कम्पोनेन्ट्स मील का पायर सञ्चित होंगे। इन कम्पोनेट में अपेक्षित गति लायी जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत तंत्र के सुदृढ़ीकरण में आरडीएसएस

योजना की अहम भूमिका है। इस योजना की प्रभावी क्रियान्विति से घेरू एवं अप्रेल तुलनात्मकों को सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी और उन्हें ट्रिपोर्ट को समस्या से भी निजात मिलेगी। जयपुर, जैधपुर और अजमेर स्कॉम्स इस योजना को प्रभावी रूप से पहले मेटेंसेस पूरा करने के लिए भी निर्देश किया।

**पीएम कुमुद योजना में लाएं गति**

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री सूचीबद्ध योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री निश्चुल बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को

सोलर प्लांट लगाने हुए निश्चुल 150 यूनिट्स बिजली प्रतिमाह उपलब्ध कराएगी। जिन अल्प आय वर्ग के घरों पर सोलर प्लांट का स्थान उपलब्ध नहीं है, वहां पर सामुदायिक सोलर प्लांट स्थापित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने योजना की लिंगित योजना के कार्यों को संपादित करने में अनवश्यक देखा कर रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए।

**लिंगित कृषि कनेक्शन को प्राथमिकता से जारी करें**

शर्मा ने डिस्कॉम्स को लिंगित घेरू एवं अप्रेल वनक्षण शीघ्र जारी करने के लिए निर्देश किया। उन्होंने कहा कि लिंगित कृषि कनेक्शन को अधिकारी को सुनिश्चित करने से नियंत्रित किया जाए। डिस्कॉम्स के अधिकारी ने लिंगित कृषि कनेक्शन योजना के लाभान्वित परिवारों को रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे। मुख्यमंत्री ने

## वरफ बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष पर भड़के अनुराग, पहले का 'काला इतिहास' ही खोल दिया यहां मुगलिया फरमान नहीं चलेगा, बाबा साहेब का संविधान चलेगा, ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान या तालिबान नहीं

इस के

अंतिम संस्कार का समय आ गया

एजेंसी नई दिल्ली

यहां मुगलिया फरमान नहीं चलेगा, बाबा साहेब का संविधान चलेगा, ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान या तालिबान नहीं

ताकुर ने कहा कि वरफ को बदलने के बजाए आ गया है, क्योंकि ये अत्याचार और भष्टाचार का अड़ा बन गया है।

**वरफ को बदलने का बजाए आ गया, क्योंकि ये अत्याचार-भष्टाचार का अड़ा बन गया**

ताकुर ने कहा कि वरफ को बदलने के बजाए आ गया है, क्योंकि ये अत्याचार और भष्टाचार का अड़ा बन गया है।

**ये बिल भष्टाचार के खिलाफ**

ताकुर ने कहा कि यह कानून हिंदू बनाने के लिए बनाया है।

**अखिलेश ने कहा**

वरफ बिल को नाकामी पर पार्दा बताया

ताकुर ने कहा कि यह कानून हिंदू बनाने के लिए बनाया है।

**अखिलेश ने कहा**

वरफ बिल को नाकामी पर पार्दा बताया

ताकुर ने कहा कि यह कानून हिंदू बनाने के लिए बनाया है।

**यह किसी नी तहर मुसलमानों के खिलाफ नहीं**

ताकुर ने कहा कि यह कानून हिंदू बनाने के लिए बनाया है।

**हमारे नेता पर हमला कर रहे : गेंगोपाल**

ताकुर ने कहा कि यह कानून हिंदू बनाने के लिए बनाया है।

**गांजा ने नायाजन नोजन परोता**

ताकुर ने कहा कि यह कानून हिंदू बनाने के लिए बनाया है।

**गुरु यादव पर वरफ बोर्ड की छीका बाढ़ा दाया**

ताकुर ने कहा कि यह कानून हिंदू बनाने के लिए बनाया है।

**दंगे में 3 ब्रिटिश नागरिकों की हत्या, सभी बरी**

ताकुर ने कहा कि यह कानून हिंदू बनाने के लिए बनाया है।

**'शिशु वाटिका' पहल का शुभारंभ**

ताकुर ने कहा कि यह कानून हिंदू बनाने के लिए बनाया है।

**गांजा ने नायाजन नोजन परोता**

ताकुर ने कहा कि यह कानून हिंदू बनाने के लिए बनाया है।

**मुख्यमंत्री के द्वारा नायाजन की शुभारंभ**

ताकुर ने कहा कि यह कानून हिंदू बनाने के लिए बनाया है।

**आदिश के द्वारा नायाजन की शुभारंभ**

ताकुर ने कहा कि यह कानून हिंदू बनाने के लिए बनाया है।

**गांजा ने नायाजन नोजन परोता**

ताकुर ने कहा कि यह कानून हिंदू बनाने के लिए बनाया है।

**गुरु यादव स्टेट पर वरफ बोर्ड की छीका बाढ़ा दाया**

ताकुर ने कहा कि यह कानून हिंदू बनाने के लिए बनाया है।

**गुरु यादव स्टेट पर वरफ बोर्ड की छीका बाढ़ा दाया**

ताकुर ने कहा कि यह कानून हिंदू बनाने के लिए बनाया है।

**गुरु यादव स्टेट पर वरफ बोर्ड की छीका बाढ़ा दाया**

ताकुर ने कहा कि यह कानून हिंदू बनाने के लिए बनाया है।

**गुरु यादव स्टेट पर वरफ बोर्ड की छीका बाढ़ा दाया**

ताकुर ने कहा कि यह कानून हिंदू बनाने के लिए बनाया है।

**गुरु यादव स्टेट पर वरफ बोर्ड की छीका बाढ़ा दाया**

ताकुर ने कहा कि यह कानून हिंदू बनाने के लिए बनाया है।

**गुरु यादव स्टेट पर वरफ बोर्ड की छीका बाढ़ा दाया**

ताकुर ने कहा कि यह कानून हिंदू बनाने के लिए बनाया है।

**गुरु यादव स्टेट पर वरफ बोर्ड की छीका बाढ़ा दाया**

ताकुर ने कहा कि यह कानून हिंदू बनाने के लिए बनाया है।

**गुरु यादव स्टेट पर वरफ बोर्ड की छीका बाढ़ा दाया**

ताकुर ने कहा कि यह कानून हिंदू बनाने के लिए बनाया है।

**गुरु यादव स्टेट पर वरफ बोर्ड की छीका बाढ़ा दाया**

ताकुर ने कहा कि यह कानून हिंदू बनाने के लिए बनाया है।

**गुरु यादव स्टेट पर वरफ बोर्ड की छीका बाढ़ा दाया**

ताकुर ने कहा कि यह कानून हिंदू बनाने के लिए बनाया है।

**गुरु यादव स्टेट पर वरफ बोर्ड की छीका बाढ़ा दाया**

ताकुर ने कहा कि यह कानून हिंदू बनाने के लिए बनाया है।

**गुरु यादव स्टेट पर वरफ बोर्ड की छीका बाढ़ा दाया**

ताकुर ने कहा कि यह कानून हिंदू बनाने के लिए बनाया है।

निजीकरण के विरोध में विद्युतकर्मियों का प्रदर्शन, एसडीएम को दिया ज्ञापन विद्युतकर्मियों ने एसडीएम कार्यालय पर जारेबाजी के बीच किया प्रदर्शन।

निजीकरण पर सोक नहीं लगाने पर विद्युतकर्मियों ने दी आन्दोलन की घेतावनी।



राजस्थान की राजनीति

नदबई। विद्युत निजीकरण के विरोध में बुधवार को राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में विद्युतकर्मियों ने नारेबाजी के बीच प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन दिया। वही, विद्युत निजीकरण नहीं रोकने पर प्रदेशस्तरीय आन्दोलन करने की चेतावनी दी। बाद में एसडीएम गंगाधर मीणा ने विभागीय उच्चाधिकारियों के अवगत करने का आश्वासन दिया। इससे पहले विद्युतकर्मियों ने नदबई एसडीएम कार्यालय के समक्ष नारेबाजी के बीच प्रदर्शन करते हुए विद्युत निजीकरण का जमकर विरोध किया। वही, प्रदेश सरकार पर विद्युत निजीकरण होने से विद्युतकर्मियों के साथ सोतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। बाद में एसडीएम को ज्ञापन देते हुए निजीकरण रोकने व निजीकरण नहीं रोकने पर प्रदेशस्तरीय आन्दोलन करने को कहा। इस दौरान सहायक अधिकारी शिवसिंह मीणा, कनिष्ठ अधिकारी कृष्णवीर, एआरआओ पीयुक्त दुबे, इन्हें अधिकारी राजेन्द्र सिंह कुतुल, कहनीयाराम, लोकेश शर्मा, वीरेन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह, प्रेमी जाट, हमन्त सिंह आदि मौजूद रहे।

## आग लगने से पांच बीघा जमीन की गेहूं फसल जलकर स्वाहा

नगर पालिका दमकल की सहायता से पाया आग पर काबू

शॉर्ट सार्किट से लगी फसल में आग, नदबई क्षेत्र के गांव अरोदा का मामला



राजस्थान की राजनीति

नदबई। नदबई क्षेत्र के गांव अरोदा में स्थित एक खेत में आग लगने के चलते करीब पांच बीघा जमीन की गेहूं फसल जलकर बर्बाद हो गई। इससे पहले ग्रामीणों ने निजी डीपबोर से आग बुझाने का प्रयास किया। बाद में नदबई नगर पालिका दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। लेकिन, इससे पहले खेत में रखी फसल जलकर स्वाहा हो गई। विभागीय सूत्रों की माने तो अरोदा निवासी पीड़ित, पवन सिंह पुत्र खिल्लाराम ने अपनी गेहूं फसल काटकर खेत में एकत्रित कर रखी। देर रात अचानक विद्युत लाइन में शॉर्ट सार्किट होने से फसल में आग लग गई। समीपवर्ती लोगों ने निजी डीपबोर की सहायता से आग बुझाने का प्रयास किया। बाद में नगर पालिका दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। लेकिन, इससे पहले गेहूं फसल जलकर बर्बाद हो गई। इस संदर्भ में समाचार लिखे जाने तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ।

## गांव कबई में कमरे का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम

किसान के घर से सरसों और बाजे के कटे किए चोरी पीड़ित ने कराया थाने में मामला दर्ज

राजस्थान की राजनीति

नदबई। क्षेत्र के गांव कबई में चोरी की वारदात सामने आई। चोरों ने एक कमरे का ताला तोड़कर बहाने स्थानों और बाजे की बोरियाँ चोरी कर ली। इस संबंध में गांव कबई निवासी पीड़ित अजबसिंह पुत्र बाबूलाल ने मंगलवार शाम को नदबई थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित अजबसिंह ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया कि, गांव के ही रहने वाले बौद्धी पुत्र राकेश और मनीष पुत्र अतरसिंह जाटव सहित अन्य अंजाम व्यक्तियों ने कमरे का ताला तोड़कर बहाने से छह बोरी सरसों, एक कट्टा सरसों और दो कट्टा बाजा चोरी कर लिया। जब पीड़ित को इस घटना को जनकारी मिली तो उसने आरोपियों से तकादा किया, तो आरोपियों ने उसे खुले आम धमकी दी। इससे पीड़ित डर और असुरक्षा की भावना से चिर गया। अखिलकर, उसने मंगलवार शाम को नदबई थाने पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

## कृषि विभाग ने तारबंदी योजना के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

अब एक जगह न्यूनतम दो बीघा जमीन वाले

किसानों ने मिलेगा तारबंदी योजना का लाभ

कृषि विभाग से तारबंदी पर किसानों को मिलेगा 50 से 70 प्रतिशत तक अनुदान

राजस्थान की राजनीति

दैसा (विष्णु आशीर्वाद)। कृषि विभाग ने काटेदार एवं चैन लिंक तारबंदी योजना के लिए वर्ष 2025-26 के लिए लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस वर्ष विभाग ने न्यूनतम जमीन की अनिवार्यता में शिथिलता दी है। अब काशतकार एक जगह न्यूनतम 0.5 हैक्टेयर (02 बीघा) भूमि होने पर भी तारबंदी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होगा। जिसे के सभी सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षकों को क्षेत्र के पात्र एवं इच्छुक किसानों से तारबंदी योजना के आनंदाइन आवेदन करवाने के आवश्यक निर्देश प्रदान किया गया है।

किसानों को इस तरह मिलेगा अनुदान सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) दैसा अशोक कुमार मीणा ने बताया कि आवेदन करवाने के आवश्यक निर्देश प्रदान आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अंधेपन के मुख्य कारण ट्रैकोमा, मोतियाबिन्द, विटामिन ए की कमी, कुपोषण और दान की गयी अंखों की कमी है। अंधा निवारण के लिए आमजन में इसके प्रति जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रुबेला और खसरा टीकाकरण के माध्यम से जन्मजात नेत्र रोगों की रोकथाम करना, जरूरतमंद व्यक्ति को प्रत्यारोपित करने के लिए नेत्र और कार्निंग दान के लिए लोगों में संबंध 37 मिलियन है। उन्होंने बताया कि अंधेपन के मुख्य कारण ट्रैकोमा, मोतियाबिन्द, विटामिन ए की गयी अंखों की कमी है। अंधा निवारण के लिए आमजन में इसके प्रति जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रुबेला और खसरा टीकाकरण के माध्यम से जन्मजात नेत्र रोगों की रोकथाम करना, जरूरतमंद व्यक्ति को प्रत्यारोपित करने के लिए नेत्र और कार्निंग दान के लिए लोगों में जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अंधा निवारण के लिए आमजन में इसके प्रति जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रुबेला और खसरा टीकाकरण के माध्यम से जन्मजात नेत्र रोगों की रोकथाम करना, जरूरतमंद व्यक्ति को प्रत्यारोपित करने के लिए नेत्र और कार्निंग दान के लिए लोगों में जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अंधा निवारण के लिए आमजन में इसके प्रति जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रुबेला और खसरा टीकाकरण के माध्यम से जन्मजात नेत्र रोगों की रोकथाम करना, जरूरतमंद व्यक्ति को प्रत्यारोपित करने के लिए नेत्र और कार्निंग दान के लिए लोगों में जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अंधा निवारण के लिए आमजन में इसके प्रति जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रुबेला और खसरा टीकाकरण के माध्यम से जन्मजात नेत्र रोगों की रोकथाम करना, जरूरतमंद व्यक्ति को प्रत्यारोपित करने के लिए नेत्र और कार्निंग दान के लिए लोगों में जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अंधा निवारण के लिए आमजन में इसके प्रति जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रुबेला और खसरा टीकाकरण के माध्यम से जन्मजात नेत्र रोगों की रोकथाम करना, जरूरतमंद व्यक्ति को प्रत्यारोपित करने के लिए नेत्र और कार्निंग दान के लिए लोगों में जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अंधा निवारण के लिए आमजन में इसके प्रति जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रुबेला और खसरा टीकाकरण के माध्यम से जन्मजात नेत्र रोगों की रोकथाम करना, जरूरतमंद व्यक्ति को प्रत्यारोपित करने के लिए नेत्र और कार्निंग दान के लिए लोगों में जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अंधा निवारण के लिए आमजन में इसके प्रति जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रुबेला और खसरा टीकाकरण के माध्यम से जन्मजात नेत्र रोगों की रोकथाम करना, जरूरतमंद व्यक्ति को प्रत्यारोपित करने के लिए नेत्र और कार्निंग दान के लिए लोगों में जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अंधा निवारण के लिए आमजन में इसके प्रति जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रुबेला और खसरा टीकाकरण के माध्यम से जन्मजात नेत्र रोगों की रोकथाम करना, जरूरतमंद व्यक्ति को प्रत्यारोपित करने के लिए नेत्र और कार्निंग दान के लिए लोगों में जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अंधा निवारण के लिए आमजन में इसके प्रति जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रुबेला और खसरा टीकाकरण के माध्यम से जन्मजात नेत्र रोगों की रोकथाम करना, जरूरतमंद व्यक्ति को प्रत्यारोपित करने के लिए नेत्र और कार्निंग दान के लिए लोगों में जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अंधा निवारण के लिए आमजन में इसके प्रति जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रुबेला और खसरा टीकाकरण के माध्यम से जन्मजात नेत्र रोगों की रोकथाम करना, जरूरतमंद व्यक्ति को प्रत्यारोपित करने के लिए नेत्र और कार्निंग दान के लिए लोगों में जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अंधा निवारण के लिए आमजन में इसके प्रति जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रुबेला और खसरा टीकाकरण के माध्यम से जन्मजात नेत्र रोगों की रोकथाम करना, जरूरतमंद व्यक्ति को प्रत्यारोपित करने के लिए नेत्र और कार्निंग दान के लिए लोगों में जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने बताया कि अंधा निवारण के लिए आमजन में इसके प्रति जागरूकता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रुबेला और खसरा टीकाकरण के माध्यम से जन्मजात नेत्र रोगों की रोकथाम करना, जरूरतमंद व्यक्ति को प्र



चिंतन

## वक्फ संशोधन न धार्मिक हस्तक्षेप, न असंवैधानिक

**व**क्फ संशोधन विधेयक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं है और न ही असंवैधानिक है। इस विधेयक में कानून बनने के बाद वक्फ के लिए संघीय अधिनियम अस्तित्व में आएगा, जिसके बाद वक्फ बोर्ड के बाद संघीय अधिनियम अस्तित्व में आएगा, जिसके बाद वक्फ 2024 लोकसभा में पेश किया गया है, जिसके बाद से देश में सियासी पारा गया है। सरकार ने इसे संधारात्मक कदम बताया है तो विषय इस बिल को मुख्लियों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप बताकर इसका तीव्रा विरोध कर रहा है। सरकार के मुताबिक इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के कामकाज में सुधार, जटिलातों को दूर करना, पारवर्तीता सुनिश्चित करना और प्रौद्योगिकी-संचालित प्रबंधन शुरू करना है। विषय के दोनों ने इसे संधारात्मक और मुख्लिय सम्बुद्धय के हितों के खिलाफ बताया है। विषय बात तो यह है कि पहली बार नहीं है, जब वक्फ कानून में संशोधन हो रहा है। देश में पहला वक्फ अधिनियम 1954 में बनाया गया था। इसी के तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया था। 1955 में पहला संशोधन किया गया। 1995 में नया वक्फ कानून बनाया गया था। इसके तहत राज्यों को वक्फ बोर्ड गठन की शक्ति दी गई। वर्ष 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन किया और धारा-40 जोड़ी गई। मौजूदा वक्फ अधिनियम की धारा-40 वक्फ बोर्ड के विभिन्न बोर्डों को किसी संपत्ति को अपनी जमीन धोषित करने की ताकत देता है। इसके तहत वक्फ बोर्ड को रिजन टू बिलीव की ताकत मिली है। वक्फ बोर्ड को यह ताकत देता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। अभी तक 1955 में, वर्ष 1995 में और वर्ष 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन हो चुका है या कानून बदला गया है। यह संसद से हुआ है। इसलाएं मौजूदा संशोधन असंवैधानिक नहीं है। संसद को इसमें बदलाव करने का अधिकार है। देश में वक्फ बोर्ड के पास कुल 4 लाख एकड़ जमीन थीं। 16 वर्ष में जमीन दोगुनी हो गई, क्योंकि 1 देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। रह राज्य में एक वक्फ बोर्ड है। यथों और बिहार में दो शिया वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है। वक्फ न्यायाधिकारणों की अभी तक कोइं न्यायिक नियमणी नहीं है। इसके चलते कई दुरुप्रयोग की खबरें आईं। पंजाब वक्फ बोर्ड ने पटियाला में शिया विधायिका की जमीन पर दावा ठोक दिया। तमिलनाडु के एक गांव विधिविरुद्ध पर ही वक्फ को दावा ठोक दिया, जिससे सम्पूर्ण गांव को उपचान परेशान हुआ। वर्ष 2024 में वक्फ के विभिन्न प्रयोग पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया। यह मामला अभी कोट में विचाराधीन है। केल के एर्नाकुलम में 600 इंसाइडरिंग की पुस्तकी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है। कर्नाटक के विजयपुरा में 15000 एकड़ जमीन पर राज्य वक्फ बोर्ड ने वक्फ जमीन धोषित कर दी। वक्फ अधिनियम के लिए एक धर्म के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है। किसी धर्म पेशे वादी के संविधान में एसा कानून संविधान की भावना का उल्लंघन है। दिल्ली उच्च न्यायालय में दावा ठोक करना असंवैधानिक वक्फ को विधेयक के बाद धारा-40 खत्म हो जाएगी और वक्फ की मनमानी पर रोक लगेगी। कोई भी कानूनी बोर्ड धार्मिक आधार पर फैसले नहीं कर सकता है। वक्फ एक में संशोधन संवैधानिक है।

**डिजिटल युग**  
डॉ. ज्योत्सना शर्मा


## साइबर क्राइम की दोकथाम है जरूरी

**आ** ज के डिजिटल युग में, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और डिजिटल दुनिया के साथ सम्बंधित बिंदा रहे हैं। अंद्रायोगिकण के युग में मानव सम्बन्ध ने बड़ी सहजता से प्रौद्योगिकी की अंगीकृत किया है। यहां पास अलग-अलग तकनीकें हैं, साधान हैं जो हमारे घरेलू और कामकाजी जीवन का एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग बान गई हैं, जैसे ऑफिसों और बीडियों प्रौद्योगिकी, जीपीएस और लोकेशन सर्विस, अलग-अलग नेटवर्क, 4जी और 5जी क्रान्ति, सर्विस, स्मार्ट होम, साइबर सुरक्षा और आजकल जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अस्थान तक्रिम में। इन सभी तकनीकों ने मानव जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ ही कुछ मुद्रों का समाना भी कर रहे हैं जैसे से बढ़ते हुए साइबर अपराध।

अंतर्राष्ट्रीय दूसरांचे संघ (आईटीयू) के अनुसार, दुनिया भर में अनुमानित 4.1 बिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए, इंटरनेट सुरक्षा संबंधी खतरे तेजी से बढ़ रहे हैं। साइबर अपराध को किसी भी गैरकानूनी कार्य के रूप में परिभ्रान्ति किया जा सकता है जहां कानून संचार या संचार उत्करण या कानून संचार ने लिए किया जाता है। साइबर बैंकोंनी, साइबर स्टॉकिं, साइबर ग्रुपिंग, ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, ऑनलाइन सेक्ससर्विस, फिरौती, बाल शोषण, डोबर्ट-क्रिडिट कार्ड धोखाधड़ी, किटों जैकिंग कुछ प्रचलित साइबर अपराध के प्रकार हैं। इन अपराधों को समाज और व्यक्ति पर विभिन्न तरीकों से गहरा प्रभाव पड़ता है। इनमें से किसी भी प्रकार का साइबर अपराध क्रिस्टल, कंपनी और संगठन को वित्ती नुकसान पहुंचा सकता है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर सूचनाओं में हफेज करके आम लोगों को तेस पहुंचाने का काम भी हो रहा है जैसे जिससे उम्माद भड़क जाते हैं और आम जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। साइबर अटैक तनाव और मानसिक रूप से नुकसान पहुंचते हैं। 'क्राइम इन ईंडिया' एनसीआरबी (स्लोट) के द्वारा प्रकाशित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार वर्ष 2020-2022 के दौरान साइबर अपराधों के लिए एक प्रदेश-वार 17470 मामले (सीआर) दर्ज किए गए। साइबर अपराधों के लिए एक प्रदेश-वार 3,962 से अधिक स्काइप अर्डी और 83,668 ब्लॉट्सप्य खातों की परचम करके उन्हें ब्लॉक किया। भारत सरकार द्वारा 28.02.2025 तक पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किया गए 7.81 लाख से अधिक सिम कार्ड और 2,08,469 आईएन्डआई को ब्लॉक कर दिया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने इस मुद्रे को उच्च प्राथमिकता पर लिया और देश में साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारी साइबर अपराध समन्वय केंद्र को स्थापना करके साइबर अपराधों से निपटने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। मुख्य उद्देश्य देश में साइबर अपराधों को रोकने के लिए एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य करना है, ताकि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले साइबर अपराध से लड़ा जा सके और साइबर अपराध के रूपाने को आसान और पैरेंट की पहचान करना, और नालाइन पोर्टल पर साइबरताकरण के लिए जागरूकता पैदा की जा सके। साइबर फोरेंसिक जांच, साइबर हार्डिजन, साइबर अपराध विज्ञान आदि के क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों, सरकारी अधियोजकों और न्यायिक अधिकारियों की क्षमता निम्न में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता करना। हम प्रौद्योगिकी को नकार नहीं सकते, हमें इसके साथ चलना होगा। कई तकनीकों संसाधनों के साथ, अब डिजिटल डिवाइड नहीं है और प्रौद्योगिकी को उन्नयन के साथ हम हमें राजनीतिक शक्ति विकसित करता है, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर हमें अधिक विकास हो जाएगा।

(लेखक विश्वास एवं विजेता हैं, ये उनके अपने विचार हैं)


**अर्थव्यवस्था**  
डॉ. जयंतीलाल भदुरी

भारत और अमेरिका के वरिष्ठ व्यापार प्रतिनिधियों ने दोनों देशों के बीच 2030 तक वक्फ बोर्ड के लिए एक प्रस्तावित व्यापार समझौते के साथ विवेक व्यापार को 500 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचाने के प्रस्तावित व्यापार समझौते की अंतिम रूप देने के लिए सार्वजनिक वार्ता की है। जहां एक अस्तर करने से बदला गया है कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। अभी तक 1955 में वर्ष 1995 में और वर्ष 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन किया और धारा-40 जोड़ी गई। मौजूदा वक्फ अधिनियम की धारा-40 वक्फ बोर्ड को किसी संपत्ति को अपनी जमीन धोषित करने की ताकत देता है। इसके तहत वक्फ बोर्ड को रिजन टू बिलीव की ताकत मिली है। वक्फ बोर्ड को यह ताकत देता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। अभी तक 1955 में वर्ष 1995 में और वर्ष 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन हो चुका है या कानून बदला गया है। यह संसद को इसलाएं मौजूदा संशोधन असंवैधानिक नहीं है। संसद को इसमें बदलाव करने का अधिकार है। देश में वक्फ बोर्ड के पास कुल 4 लाख एकड़ जमीन थीं। 16 वर्ष में जमीन दोगुनी हो गई, क्योंकि 1 देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। रह राज्य में एक वक्फ बोर्ड है। यथों और बिहार में दो शिया वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड को यह ताकत है कि कोई संपत्ति वक्फ की है या नहीं। अभी तक 1955 में वर्ष 1995 में और वर्ष 2013 में वक्फ अधिनियम में संशोधन हो चुका है या कानून बदला गया है। यह संसद को इसलाएं मौजूदा संशोधन असंवैधानिक नहीं है। संसद को इसमें बदलाव करने का अधिकार है। देश में वक्फ बोर्ड के पास कुल 4 लाख एकड़ जमीन थीं। 16 वर्ष में जमीन दोगुनी हो गई, क्योंकि 1 देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। रह राज्य में एक वक्फ बोर्ड है। यह संसद को इसलाएं मौजूदा संशोधन असंवैधानिक नहीं है। संसद को इसमें बदलाव करने का अधिकार है। देश में वक्फ बोर्ड के पास कुल 4 लाख एकड़ जमीन थीं। 16 वर्ष में जमीन दोगुनी हो गई, क्योंकि 1 देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। रह राज्य में एक वक्फ बोर्ड है। यह संसद को इसलाएं मौजूदा संशोधन असंवैधानिक नहीं है। संसद को इसमें बदलाव करने का अधिकार है। देश में वक्फ बोर्ड के पास कुल 4 लाख एकड़ जमीन थीं। 16 वर्ष में जमीन दोगुनी हो गई, क्योंकि 1 देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड हैं। रह राज्य में एक वक्फ बोर्ड है। यह संसद को इस







